मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या :– 218/2024

1. श्योपतराम | पि. स्व. हरीराम जाति नायक साकिन 2 एस.जी.आर. तहसील पीलीबंगा
2. कानाराम | जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. बुधराम पुत्र स्व.हरीराम जाति नायक साकिन 2 एस.जी.आर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. ओमीदेवी पुत्री स्व. हरीराम पत्नी जीतराम जाति नायक साकिन बहिया तहसील व जिला सिरसा।
3. पवन कुमार | पि. स्व.मांगीलाल पुत्र स्व.हरीराम जाति नायक साकिन 2 एस.जी.आर
4. संजय कुमार | तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. संतोष पुत्री स्व.मांगीलाल पत्नी मदन जाति नायक साकिन 2 एस.जी.आर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. सुनीता पुत्री स्व मांगीलाल पत्नी गुरदयाल जाति नायक साकिन नगराणा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. सावित्री पत्नी स्व. मांगीलाल पुत्र स्व.हरीराम जाति नायक साकिन 2 एस.जी.आर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन

निर्णय

दिनांक :– 30/09/2024

वादीगण की ओर से श्री शलैन्द्र कुमार नायक अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 की ओर से श्री सद्दाम हुसैन अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को **अमिता बिश्नोई** आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88 के अन्तर्गत वाद में खाता विभाजन किया जाकर निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है:–

वादी प्रथम पक्ष सं. 1 श्योपतराम को चक 18 पी.बी.एन.–बी के खाता सं. 146/129 के प.नं. 7/317 (15) किला नं. 2/0.209, 3, [illegible] .127 की कुल 0.589 हैक्ट. नहरी अनकमाण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.07 10:51:15 IST
Reason: SelfAttested

वादी प्रथम पक्ष सं. 2 कानाराम को चक 2 एस.जी.आर. के खाता सं. 121/110 के प.नं. 6/316 (50) किला नं. 17, 18 की कुल 0.506 हैक्ट., नहरी

प्रतिवादी द्वितीय पक्ष सं. 1 बुधराम को चक 18 पी.बी.एन.–बी के खाता सं. 146/129 के प.नं. 7/317 (15) किला नं. 1, 2/.044 कुल 0.297 हैक्ट. व चक 2

एस.जी.आर. के खाता सं. 121/110 के प.नं. 6/316 (50) किला नं. 16 इस प्रकार दोनों चकों की कुल 0.550 हैक्ट. नहरी अनकमाण्ड

प्रतिवादी द्वितीय पक्ष सं. 7 सावित्री को चक 2 एस.जी.आर. के खाता सं. 121/110 के प.नं. 6/316 (50) किला नं. 19, 20 की कुल 0.506 हैक्ट. नहरी

वादी व प्रतिवादीगण का खाता तकसीम कर रकमराज अलग कायम करवाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 30/09/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.07 10:51:15 IST
Reason: SelfAttested